उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास निदेशालय
31/62 राजपुर रोड
देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001
ई–मेल– recruitmentudd@gmail.com
दूरभाष : 0135-2742885

संख्या –1561/यूडीडी/अमृत/2016–17 दिनांक–16 नवम्बर, 2016

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंर्तगत अनुबन्ध के आधार पर विशेषज्ञों की नियुक्ति।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड इच्छुक विषेषज्ञों से अनुबन्ध के आधार पर निम्नलिखित पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है:–

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	शैक्षिक योग्यता एवम् कार्य अनुभव	अधिकतम् प्रतिमाह पारिश्रमिक (रू0 में)
अमृत–सिटी मिशन मैनेजमैन्ट यूनिट (CMMU)				
1	अर्बन प्लानर	3	बी आर्क / बी टैक साथ में शहरी नियोजन में मास्टर्स तथा 3 से 5 साल का अनुभव।	55,000.00
2	अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ	1	निर्माण/भू विज्ञान में एम0टैक0, 02 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सिविल इंजीनियरिंग में बी0ई0/बी0टैक0 तथा 3 से 5 साल का कार्य अनुभव।	55,000.00
डे–एन0यू0एल0एम0–				
1	सिटी मिशन मैनेजर	3	प्रबन्धन में द्विवर्षीय पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा/एम0बी0ए0/ सम्बन्धित विषय में एम0ए0 03 वर्षीय कार्य अनुभव अथवा स्नातक के साथ 06 वर्षीय सामाजिक विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ कार्य अनुभव।	35,000.00

सेवा की शर्तें –

1. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 01 वर्ष के लिए अस्थायी आधार पर की जायेगी, अभ्यार्थी की सेवायें किसी भी अमृत/डे–एन0यू0एल0एम0 टाउन में पद की रिक्तता व अभ्यर्थी की कार्यक्षमता के आधार पर वार्षिक रुप से बढाई जा सकती हैं।
2. चयनित अभ्यार्थी की तैनाती किसी भी अमृत– डे–एन0यू0एल0एम0 शहर में की जा सकती है।
3. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि** : 30 नवम्बर, 2016 सांय 04 बजे तक)।
4. **आवेदन कैसे करें:** इच्छुक अभ्यार्थी निदेशालय की वॅबसाईट www.udd.uk.gov.in से आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते है तथा भरे फार्म ई–मेल द्वारा recruitmentudd@gmail.com अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शहरी विकास निदेशालय, 31/62, राजपुर रोड, पाईन हॉल स्कूल के पीछे, देहरादून उत्तराखंड–248001 में जमा कर सकते है। आवेदन फार्म के लिफाफे के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से आवेदन किये गये आवेदित पद का नाम का उल्लेख किया जाए । व्यक्तिगत रूप से कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
5. छटनीशुदा उम्मीदवारों को केवल ई–मेल/मोबाइल द्वारा साक्षात्कार की तिथि और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा और कोई पृथक संचार नही किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
6. निदेशक शहरी विकास बिना किसी पूर्व सूचना के किसी आवेदन पत्र/भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(एस0 ए0 मुरुगेशन)
निदेशक।

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड शासन उत्तराखण्ड, देहरादून